

उत्तर प्रदेश शासन
सहकारिता अनुभाग-3
संख्या-1007/49-3-2018-100(19)/2018.

लखनऊ :: दिनांक :: ०४ मई, 2018.

शुद्धि-पत्र

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग लखनऊ के लिये वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-875/49-3-2018-100-(19)/2019, दिनांक 24 अप्रैल, 2018 के संलग्नक में अंकित मद संख्या-19 विज्ञापन, बिक्री एवं विख्यापन व्यय" के अंतर्गत अंकित धनराशि के अंकन में हुई लिपिकीय त्रुटि को एतद्वारा संशोधित किया जाता है :-

धनराशि (लाख रुपये में)

लेखा शीर्षक	पूर्व अंकित धनराशि	संशोधित धनराशि
2425-सहकारिता 800-अन्य व्यय 11-उ०प्र० राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग		
19- विज्ञापन, बिक्री एवं विख्यापन व्यय	50.00	250.00

2- कृपया उपरोक्त शासनादेश संख्या 875/49-3-2018-100(19)/2018, दिनांक 24 अप्रैल, 2017 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

मो० जुनीद
विशेष सचिव।

संख्या-1007 (1)/49-3-2018-100(19)/2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता, उ०प्र० लखनऊ।
- 5- संयुक्त आयुक्त, उ०प्र० राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-381/उ०प्र०रा०स०स०नि०आ०(बजट)/2018-19 दि० 26 अप्रैल, 2018 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता उ०प्र० लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
- 9- सहकारिता अनुभाग-1.
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार)
अनु सचिव।

227
प्रवारी (अनुसूचित)
आर.नी.प. (अनुसूचित)
११/५/२०१८